

कार्यालय – जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर (राजस्थान)

E-mail Address: dc-ajm-rj@nic.in

Tel. No- 0145-2420027

निविदा सूचना

क्रमांक :- स्था./2026-2027/ 03

दिनांक :- 10/9/26

अजमेर न्यायक्षेत्रान्तर्गत नवसृजित न्यायालय **CJ & JM, Bhinay, AJMER** के लिए वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु 04 कम्प्यूटर, प्रिन्टर तथा यू.पी.एस. की खरीद की जानी है। इस हेतु निर्माता/वितरक/अधिकृत डीलर/स्टॉकिस्ट/पंजीकृत बोलीदाता/वास्तविक डीलरों से राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम-2013 के अन्तर्गत मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र शुल्क 200/- जमा कराकर अथवा वेबसाइट से डाउनलोड किए जाने की स्थिति में फार्म शुल्क मूल्य 200/- रुपये का डी.डी. व अमानत राशि 2 प्रतिशत का डी.डी. **DISTRICT & SESSION COURT, AJMER** के पक्ष में देय के नाम से बनाया जाकर निविदा के साथ अवश्य लगावें अन्यथा निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा का सम्पूर्ण विवरण एवं शर्तें विभागीय वेबसाइट वेबसाइट <https://ajmer.dcourts.gov.in> एवं राजस्थान सरकार के पोर्टल के <https://sppp.rajasthan.gov.in> पर तथा इस कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को देखी जा सकती हैं।

क्र. सं.	सामग्री का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि (2 प्रतिशत)	कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (5 प्रतिश)	निविदा फार्म शुल्क
1.	4 कम्प्यूटर, यू.पी.एस एवं प्रिन्टर	2,80,000/-	5,600/-	14,000/-	200

निविदाएँ दिनांक 10-09-2026 से दिनांक 19-09-2026 तक प्रातः 12:00 बजे तक बेची जाकर दिनांक 19-09-2026 को दोपहर 01:00 बजे तक प्राप्त की जायेंगी तथा प्राप्त निविदायें दिनांक 19-09-26 को ही सायं 04:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में खोली जायेंगी।


अध्यक्ष (क्रय समिति) 10/9/2026
न्यायाधीश

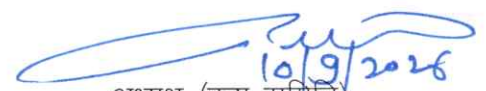
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर

क्रमांक :- 30491-30508

दिनांक :- 10/9/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर
2. प्रभारी अधिकारी स्टोर, जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर
3. कौशियर, जिला न्यायालय, अजमेर
4. सिस्टम ऑफीसर, कार्यालय हाजा को विभागीय पोर्टल <https://ajmer.dcourts.gov.in> पर अपलोड करने हेतु।
5. प्रोग्रामर ग्रेड-प्रथम, कार्यालय हाजा को राजस्थान सरकार के पोर्टल के <https://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड जिला न्यायालय, अजमेर/जिला कलेक्टर कार्यालय, अजमेर/नगर परिषद, अजमेर/संभागीय आयुक्त नोटिस बोर्ड, अजमेर/सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, अजमेर/समस्त तालुका न्यायालय नोटिस बोर्ड, अजमेर न्याक्षेत्र।


अध्यक्ष (क्रय समिति) 10/9/2026
न्यायाधीश

मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर

कार्यालय – जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर (राजस्थान)

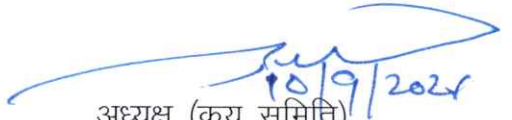
E-mail Address: dc-ajm-rj@nic.in

Tel. No- 0145-2627556

तकनीकी बोली-प्रपत्र

1. बोली सूचना संख्या
2. मद जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई है। – नवीन(सामग्री का नाम)
3. बोली की अनुमानित लागत –
4. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म/बोलीदाता का नाम व डाक का पूरा पता
-
-
-
- दूरभाष नं. मोबाईल नं.
5. बोली दस्तावेज शुल्क राशि रुपये 200/- का (साक्ष्य प्रति) रसीद सं.....
दिनांक
6. धरोहर राशि रुपये का (साक्ष्य प्रति) रसीद संख्या..... दिनांक
7. बोलीदाता/फर्म का जी.एस.टी. नं. व प्रमाण पत्र की छायाप्रति
8. बोलीदाता /फर्म की ई-मेल आई.डी
9. बैंक खाता संख्या (कैन्सिल चैक/बैंक पासबुक की फोटो प्रति)
मय आई.एफ.एस.सी. कोड.
10. लेटेस्ट जी.एस.टी. क्लियरेंस प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
11. कर बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र।
12. फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति।
13. फर्म का आयकर पैन कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो प्रति।
14. फर्म के ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का प्रमाण पत्र।

फर्म के हस्ताक्षर


अध्यक्ष (क्रय समिति)
न्यायाधीश
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण
अजमेर

कार्यालय – जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर (राजस्थान)

E-mail Address: dc-ajm-rj@nic.in

Tel. No- 0145-2420027

निविदा की शर्तें

निविदादाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा निविदा भेजते समय इसकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए। इन शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा प्रस्तावक के हस्ताक्षर मोहर सहित होना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

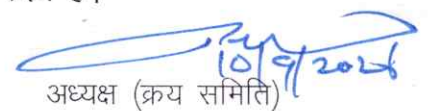
1. निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय तक कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखाशाखा में कैशियर से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाइट से फार्म लेने की दशा में फार्म जमा कराते समय उसमें निविदा प्रपत्र मूल्य 200/- रुपये व अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत (एम.एस.एम.ई. फर्म के लिए 0.5 प्रतिशत) अमानत राशि का डी.डी. के DISTRICT & SESSION JUDGE, AJMER पक्ष में देय के नाम से बनाया जाकर निविदा के साथ अवश्य लगावें अन्यथा निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. बोलीदाता को अंकित विषय वस्तु के मामलों में पंजीकृत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. निविदाएं पूर्ण रूप से भरी जाकर मोहरबंद लिफाफे में भेजी जानी है। निविदादाता को वित्तीय तथा तकनीकी निविदा एक ही लिफाफे में रखकर प्रेषित करनी होगी। निविदादाता जिस निविदा सामग्री हेतु आवेदन कर रहा है उसके लिफाफे पर "नवीन कम्प्यूटर, प्रिन्टर तथा यू.पी.एस. हेतु निविदा" स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित जी.एस.टी. के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा।
4. निविदा प्रपत्र में दरें शब्दों तथा अंकों दोनों में बिना कांट-छांट के स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिए। कांट-छांट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरें स्पष्ट रूप से लिखनी होंगी तथा दरें राजस्थान/केन्द्रीय बिक्री कर जी.एस.टी. तथा समस्त करों सहित होनी चाहिए। सरकार द्वारा करों की दरें घटाये या बढ़ाये जाने की स्थिति में करो की घटी/बढ़ी दरें लागू होंगी।
5. निविदा में वर्णित प्रत्येक आइटम की एकल दरें ही मान्य होंगी तथा एक से अधिक दरें देने पर संबंधित आइटम की दर अस्वीकार्य होगी।
6. सशर्त, अपूर्ण, भ्रामक अथवा गलत तथ्य/दावे प्रस्तुत करने वाली, अल्प वैधता वाली निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी तथा दी जा रही दरों में समस्त चुंगी, किराया-भाड़ा या अन्य कोई राशि जो भुगतान योग्य है, को जोड़कर एफ.ओ.आर. दरें ही दी जायेगी।
7. निविदा प्रपत्र के साथ पैन नम्बर, बिक्री कर पंजीयन एवं नवीनतम कर चुकता प्रमाण-पत्र, जी.एस.टी. नम्बर, की प्रति संलग्न होनी चाहिए।
8. आपूर्तिकर्ता अपनी निविदा को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उपभाड़े (सब-लैट) पर नहीं देगा।
9. फर्म को जारी सप्लाई आदेशानुसार एक साथ ही पूर्ण माल सप्लाई करना होगा। विलम्ब के लिए राज.लोक.उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार दण्ड से आरोपित किया जा सकता है।
10. निविदा दरें तथा निविदा में अनुमोदित दरें वित्तीय वर्ष 2026-27 की समाप्ति तक मान्य होंगी। जिनकी अवधि नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है।
11. निविदा अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकृत/स्वीकृत करने का अधिकार क्रय समिति अध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा।
12. अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यूनतम दर स्वीकृत करने हेतु बाध्य नहीं होंगे। सामग्री की गुणवत्ता एवं अन्य उचित आधार पर सामग्री उपापन हेतु क्रय समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।
13. बिना धरोहर राशि के (धरोहर राशि देने से मुक्त संस्थानों को छोड़कर) किसी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. सफल बोलीदाता को निर्धारित अवधि में बोली सूचना की अनुमानित राशि का 5 प्रतिशत (एम.एस.एम.ई. फर्म के लिए 1 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि) कार्य सम्पादन प्रतिभूति नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाए जाने के स्थिति में DISTRICT & SESSION JUDGE, AJMER के नाम से देय बनाया जाकर दरें स्वीकृत होने के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक रूप से

- जमा करानी होगी। जमा राशि पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा के समय जमा कराई गई अमानत/बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।
15. प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः निम्नानुसार समपहरण किया जा सकेगा।
 - (अ) जब संविदा के किसी निर्बन्ध या शर्तों को भंग किया जाता है।
 - (ब) जब बोलीदाता संतोषप्रदरूप से प्रदाय पूर्ण प्रदान करने में विफल रहता है।
 - (स) इस संबंध में अध्यक्ष, क्रय समिति, का निर्णय अंतिम होगा।
 16. सफल बोलीदाता को प्रारूप एस.आर.-17 के अनुसार एक करार राशि 500/- रु. का नॉन-ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर दरें स्वीकृत करने के तीन दिवस में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।
 17. सफलतम निविदादाता की निविदा पर अंतिम निर्णय होने के बाद अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि लौटाई जावेगी।
 18. प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/ट्रेड मार्क के पूर्ण अनुरूप होनी चाहिए। अन्यथा स्वयं के खर्च पर बदलनी होगी।
 19. भुगतान कार्य समाप्ति के पश्चात् आदेश के मुताबिक सामग्री प्राप्त करने के पश्चात् किया जावेगा। नियमानुसार आयकर/सेवाकर एवं अन्य कोई भी वैधानिक कटौती काटकर ही भुगतान किया जायेगा।
 20. विधिक कार्यवाही यदि कोई हो, का क्षेत्राधिकार अजमेर होगा।
 21. वसूली-परिनिर्धारित नुकसान, कम सप्लाई, टूट-फूट की गयी वस्तुओं की राशि की वसूली फर्म के बिल से ही की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव नहीं हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून/प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
 22. निविदा में दिये गये स्पेसिफिकेशन से भिन्न वस्तुओं की दर स्वीकार करने के संबंध में क्रय समिति सक्षम होगी।
 23. माल की आपूर्ति नवसृजित न्यायालय CJ & JM, भिनाय, अजमेर में ली जाएगी। जिसका अलग से कोई भाडा, लोडिंग-अनलोडिंग, पैकिंग आदि का चार्ज देय नहीं होगा। क्रयादेश उक्त नवसृजित न्यायालय CJ & JM, भिनाय, अजमेर हेतु स्थान निर्धारण/आवंटन पश्चात् जारी किया जा सकता है।
 24. उक्त निविदा आर.टी.पी.पी. अधिनियम-2012 एवं नियम-2013 तथा अन्य प्रभावी नियमों के अधीन रहेगी।
 25. क्रय समिति द्वारा न्यायिक कार्य की अति-आवश्यकता एवं समयाभाव को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार जारी निविदा में मान्य प्रस्तुत एकल निविदा पर भी विचार किया जा सकता है।
 26. सामग्री का क्रय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा आवंटित बजट के आधार पर नवसृजित न्यायालय हेतु वांछित सामग्री की संख्या को कम/ज्यादा करके क्रय किया जा सकता है साथ ही उक्त निविदा प्रक्रिया में वर्गवार मदों में सबसे न्यूनतम (एल-1) रहने वाली फर्म को वरीयता प्रदान की जा सकती है।

हम जिला एवं सेशन न्यायालय, अजमेर द्वारा चाही गई सामग्री हमारे द्वारा दी गई दरों के आधार पर सामग्री की आपूर्ति दिये जाने हेतु सहमत हैं।

हम जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता/अधिकृत प्राधिकारी
मय फर्म की मुहर
वास्ते
फर्म का नाम व पता
फर्म की सील


अध्यक्ष (क्रय समिति)

कार्यालय – जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर (राजस्थान)

E-mail Address: dc-ajm-rj@nic.in

Tel. No- 0145-2420027

निविदा सूचना संख्या मय दिनांक 03/10-9-24

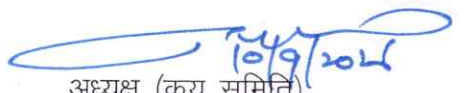
वित्तीय बोली

अजमेर न्यायक्षेत्र में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्देशानुसार नवसृजित CJ & JM, Bhinay, Ajmer के लिए 04 कम्प्यूटर मय यू.पी.एस एवं प्रिण्टर की आपूर्ति हेतु निर्माता/वितरक/अधिकृत डीलर/स्टॉकिस्ट/पंजीकृत बोलीदाता/वास्तविक डीलरों से आमंत्रित निविदा हेतु वित्तीय बोलियां।

क्र. सं.	सामग्री का नाम	विवरण	मात्रा	निविदा दर (समस्त करों सहित) प्रति नग		वि.वि. (वजन एवं मैक अंकित करें)
				अंकों में	शब्दों में	
1.	कम्प्यूटर एवं यू.पी.एस.	INTEL i-3 Business segment (NOT HOME SEGMENT) intel hd graphic & sound or better, Processor cache 6MB Base Frequency 3.2GHZ OR Higher INTEL Original Motherboard or equivalent M/B Based on RAM 8GB or Higher expandable upto 16 GB at Least 2 SLOT Storage – SSD 500 GB 7200 RPM or More Operating system UBUNTU 18.04/20.04 LTS or E-Comittee customised with all required drivers and plugins (OS will be provided by department) System architechture 64 BIT LED Screen size 18.5 inch TFT LED Monitor (HD resolution) OEM USB Optical scrolling Mouse, OEM USB Standard 104 Keys Keyboard , Graphic Processor Intel HD or Equivalent integrated HD Graphics and sound controller Inteegrated GIGA BIT Ethernet controller with IPV6 Compliant Wireless IEEE 802.11b/g/n USB 4xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 other port MIC IN, Speaker OUT, RJ-45, VGA/Display Port Out & HDMI Power Supply/Adaptor Optimum wattage SMPS to Support Full use of system with all usb ports utilized 04 UPS OFFLINE, 500 VA Line interactive UPS System with minimum 10 minute battery backup on full load (0.65 PF) and 1 year warranty on battery with As per Brand warranty minimum 01 year	4			

10/9/2024

2.	प्रिण्टर	<p>canon/hp or equivalent</p> <p>Printing Method- Monochrome Laser Beam Printing</p> <p>Print Speed- A4: 18ppm or higher, Letter: 19ppm or Higher</p> <p>Print Resolution- 600x600 dpi or higher</p> <p>Print Quality with Image refinement quality – 2400(equivalent)x600dpi</p> <p>Paper Handling Paper input (Standard)-150 sheets(based on 80g/m²) or higher</p> <p>Paper size- A4, Legal, Letter, and Envelope</p> <p>Pappter type-Plain paper, Heavy paper, Transparency, Label, envelope</p> <p>Connectivity and software USB interface- USB 2.0 High Speed or higher</p> <p>Compatible Operating System – Windows, Linux(Ubuntu) and Any other compatible OS</p> <p>General Specification Device Memory- 32MB or higher</p> <p>Power Requirement- 220- 240V(+/-10%), 50/60HZ(+/- 2Hz)</p> <p>Monthly Duty Cycle-5,000 pages or higher</p> <p>warranty As per Brand minimum 01 year</p>	4			
----	----------	---	---	--	--	--


 अध्यक्ष (क्रय समिति)
 न्यायाधीश
 मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण
 अजमेर

(प्रपत्र - एस.आर. - 11)
(नियम 48- vii)

—: निविदादाताओं द्वारा घोषणा :—

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तों को मैंने/हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर का निर्णय हमारे लिए मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव व तकनीकी कर्मचारी आदि उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है। प्रतीक स्वरूप बिड प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मय सील) कर दिये गये हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति राशि को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जावेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा एवं नियमानुसार अन्य समस्त कार्यवाही भी की जा सकेगी।


10/9/2026

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील

बिडदाता का नाम

पूर्ण पता —

कार्यालय टेली.नं./मोबाईल नं.

BIDDER'S AUTHORIZATION CERTIFICATE (To be filled by the Bidder)

To,
The Chairman,
Purchases Committee,
District & Sessions Court, Ajmer

Sir,

If I/We.....(Name/Designation) hereby
declare/certify that.....(Name/Designation) is hereby authorized to sign relevant
documents on behalf of the company/firm in dealing with Tender/NIB No
:..... Date:

He/She is also authorized to attend meetings & submit technical &
commercial information/clarifications as may be required by you in the course of
processing the BID for the purpose of validation, his/her verified signatures are as under.

Thanking you,

Verified

Signature

Name of the Bidder: Authorized Signatory: Seal of the Organization

Date:

Place:


10/9/2026

करार-पत्र

(नियम - 68)

यह करार पत्र आज दिनांक माह सन् को एक पक्ष के (जिसे इसमें आगे "अनुमोदित सप्लायर" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा।) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे "सरकार" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।

1. चूंकि अनुमोदित सप्लायर राजस्थान राज्य के को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसके शाखा कार्यालयों को भी, इससे संलग्न की अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं को निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम में दी गयी दरों पर सप्लाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।
2. चूंकि अनुमोदित सप्लायर ने रुपये की राशि निम्न प्रकार से जमा करायी है :-
 - (i) नकद/बैंक ड्राफ्ट/ चालान संख्या/बैंकर्स चैक संख्या दिनांक द्वारा
 - (ii) विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत् रेहन रखकर डाकघर बचत बैंक पास बुक के रूप में,
 - (iii) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों/डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स/किसान विकास पत्रों या किन्हीं अन्य स्क्रिप्ट/इन्स्ट्रुमेन्ट्स के रूप में, यदि इन्हें सम्बंधित नियमों के अधीन (प्रमाणपत्र उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किए जाएंगे।) उक्त करार के निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता है तथा उसे विभागीय प्राधिकारियों को औपचारिक रूप से हस्तान्तरित कर दिया गया है।
3. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है -
 - (1) इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर के मार्फत सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित सप्लायर में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं की विधिवत् सप्लाय करेगा।
 - (2) निविदा सूचना संख्या दिनांक से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र से जुड़ी शर्तों को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होंगी।
 - (3) निविदा से प्राप्त पत्र में संख्यायें तथा सरकार द्वारा जारी किए पत्र संख्यायें भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।
 - (4) (क) सरकार द्वारा एतद्द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित सप्लायर उक्त वस्तुओं की उपर्युक्त तरीके से विधिवत् सप्लाय करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकार के माध्यम से अनुमोदित सप्लायर को उक्त शर्तों में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगी या भुगतान करवाएगी।
- (ख) भुगतान की विधि नीचे वर्णन किए गए अनुसार होगी :-
 - 1
 - 2
 - 3
5. माल की सुपुर्दगी सप्लाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगी :

क्रम संख्या

मदों की संख्या

सुपुर्दगी अवधि

6. (1) (i) यदि परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो सप्लाय न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी :-

10/9/2026

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5%
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए	7.5%
(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

टिप्पणी : -

- (i) विलम्ब की अवधि से आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा
- (ii) स्वीकार की गयी परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।
- (iii) यदि सप्लायर किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह सप्लाई आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि सप्लाई को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।
- (2) यदि माल की सप्लाई में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो जो निविदादाता के नियन्त्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति के साथ या उसके बिना कर दी जाएगी।
7. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

इसकी साक्षी में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक माह सन् को अपने हस्ताक्षर किए।

अनुमोदित सप्लायर के हस्ताक्षर
से

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर

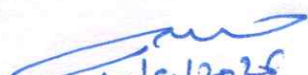
हस्ताक्षर पदनाम

दिनांक :-

दिनांक :-

साक्षी संख्या (1)..... साक्षी संख्या (1).....

साक्षी संख्या (2)..... साक्षी संख्या (2).....


10/4/2024